# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक 30.07.2021

## थाना सिगरा पुलिस टीम द्वारा 24 घण्टे के अन्दर हत्या की घटना का सफल अनावरण

## लूट के माल के साथ अभियुक्त मनोज गुप्ता व दीपक कुमार प्रजापति गिरफ्तार

आज दिनांक 30.07.21 को थाना सिगरा पुलिस टीम द्वारा पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व घटनाओं के अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में सर्विलांस टीम व मुखबिर की सहायता से 394/302 धारा 21/350 भादवि के वांछित अभियुक्तों **1.** मनोज गुप्ता S/O फूलचन्द्र गुप्ता R/O शिवदासपुर आदर्शनगर थाना मडुवाडीह, थाना सिगरा, वाराणसी **2.** दीपक कुमार प्रजापति S/O सुभाष कुमार R/O C 253/27 D जगतगंज थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी **को** जवाहर नगर तिराहा थाना क्षेत्र सिगरा से समय 11.15 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित कुल रु नगद एवं 9000 0उनकी निशांदेही पर मृतक रवि मौर्य का एक अदद एण्ड्राइड मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी A 51 बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अपराध के त्वरित अनावरण से आम जन मानस द्वारा थाना सिगरा पुलिस की भूरि भूरि प्रशंसा की जा रही है।

**घटना के त्वरित व सफल अनावरण किये जाने पर पुलिस टीम को श्रीमान पुलिस कमिश्नर महोदय द्वारा रू. 10000/- इनाम राशि प्रदान करने की घोषणा की गयी।**

<u>**घटना का विवरण -**</u> दिनांक 29.07.21 को शनि मौर्य s/o लल्लन मौर्य ग्राम सभा मुरारा तहसील केराकत थाना केराकत द्वारा सूचना दी गयी कि मेरा बडा भाई रवि मौर्य C.V मार्ट मलदहिया चौराहा वाराणसी मे कैशियर के पद पर कार्यरत थे तथा माधोपुर थाना सिगरा वाराणसी के अंतर्गत मकान नं 0D -1/64C-2K मे किराये के मकान मे रहते थे , हम लोगो से उनकी वार्ता अन्तिम बार सोमवार दिनांक को सुबह में हुई थी 26.07.21। दिनांक 28.07.21को जब उनका फोन नही लगा तब हम लोग चिन्तित हुए फोन मिलाने पर उसका फोन बन्द आ रहा था। दिनांक को उनका पत 29.07.21ा लगाने के लिए शनि मौर्य और उसका भाई चन्दन मौर्य एवं गाँव के ही राहुल चौरसिया व प्रियांक दूबे के साथ उसको खोजते हुये माधोपुर थाना क्षेत्र सिगरा स्थित उसके कमरे पर पहुचे तो अन्दर से बदबू आ रही थी जिसकी सूचना उन्होंने थाना सिगरा पुलिस को दिया। उक्त सूचना का त्वरित संज्ञाने लेते हुए थाना सिगरा पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी और 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण किया गया।

<u>**पूछताछ का विवरण -**</u> पूछताछ करने पर अभियुक्तो ने बताया कि हम लोग पैसे की लालच में अनार के जूस में नींद की दवाई की 6 गोलियां पीस कर मिला दिये थे एवं सोने पर गला दबाकर सब्जी काटने वाले चाकू से दाहिने हाथ की नस काटकर मार डाले थे

एवं उसका मोबाइल एवं ATM लेकर कमरे में ताला बन्द करके फरार हो गये। रथयात्रा चौराहे पर समय 7 से 8 बजे शाम के बीच HDFC ATM Booth से रुपया 20,000/ नगद निकाल कर 10,000/- रुपया व प्रत्येक ने लेकर बटवांरा किया। तत्पश्चात दोनो अपने-2 घर के लिए अलग अलग निकले। मनोज गुप्ता उसके बाद मृतक रवि मौर्य का ATM मोबाइल सैमसंग तथा कमरे में बंद ताले की चाभी पुराने L.I.C की बिल्डिग के परिसर स्थित कबाड़ में फेंक कर घर चला गया था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. मनोज गुप्ता S/O फूलचन्द्र गुप्ता R/O शिवदासपुर आदर्शनगर थाना मडुवाडीह, थाना सिगरा, वाराणसी।
2. दीपक कुमार प्रजापति S/O सुभाष कुमार R/O C 27/253 D जगतगंज थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी।

**बरामदगी का विवरण-**

बरामदगी रु नगद एवं एक अदद एण्ड्राइड मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी 9000 0A51- ।

**आपराधिक इतिहास –**

350/21 धारा 302 394/भादवि थाना सिगरा वाराणसी ,कमिश्नरेट ,

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

1. निरीक्षक अपराध / थाना प्रभारी अनूप कुमार शुक्ला थाना सिगरा वाराणसी
2. उ0नि0 लवकुश यादव, थाना सिगरा वाराणसी
3. HC मोहन कुमार थाना सिगरा वाराणसी
4. HC कृण्णानन्द राय थाना सिगरा वाराणसी
5. का0 मनीष कुमार, का0 सूरज भारती, चालक नारायन सिंह यादव थाना सिगरा वाराणसी

**सोशल मीडिया सेल**
**पुलिस उपायुक्त**
**वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी**